मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 25, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि) -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90; तथा

(ख) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991-92 (अनुभाग-1),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बिसाहू लाल सिंह, राज्यमंत्री पशुपालन, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, राज्यमंत्री खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की 18 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक ग्रामों में मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर में चुनावों के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा अराजकता की स्थिति उत्पन्न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री भंवर सिंह शेखावत, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, जबलपुर में पदस्थ एक मुख्य अभियंता द्वारा जन्मतिथि में हेरा-फेरी किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित सी.जे. जिलेटिन फैक्ट्री से श्रमिकों को बर्खास्त किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, शासन द्वारा उज्जैन एवं मन्दसौर के शक्कर कारखानों को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले में यूरिया खाद के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री कैलाश जोशी, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ज्वार एवं मक्का की कीमतों में वृद्धि होने की ओर राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित कृषि योजनाओं के लिये प्राप्त राशि का उपयोग न कर पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले की बैहर तहसील में आबकारी निरीक्षकों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर राज्य मंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्दौर नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत करजू में जीवन धारा योजना में अनियमितताएं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के कुरूद नगर में पुलिस कर्मियों द्वारा विद्वेषवश मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सैपुरा में एक व्यक्ति की हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के पोलायकला तालाब से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने से फसलों को हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री भोलासिंह, सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, बिलासपुर जिले के जरहागांव विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलों की हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के खालवा ब्लॉक में पंचायत विभाग के उप यंत्रियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों हेतु एकत्रित राशि का पुलिस प्रशासन द्वारा अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री परसराम धुर्वे, सभापति, आश्वासन समिति का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए. "

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, -

(क) सीधी जिले के ग्राम बरम्बाबा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में परिवर्तित किये जाने; एवं
(ख) सरगुजा जिले के ग्राम जनकपुर में महाविद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि वक्फ (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 44 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश न्यूनतम रोजगार विधेयक, 1994 (क्रमांक 43 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का मत है कि प्रदेश में वर्तमान अतिशेष घोषित एवं पड़त भूमि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे व्यक्तियों को वितरित किया जाय."

(2) श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

40 मि. " इस सदन का मत है कि शासकीय सेवाओं में एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित किया जाय."

(3) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " इस सदन का मत है कि कोरबा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाकर उसका अविलंब क्रियान्वयन किया जाय."

(4) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " इस सदन का मत है कि प्रदेश के आदिवासियों को शराब बनाकर पीने की छूट पर प्रतिबंध लगाया जाय."

10. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 8 दिसम्बर, 1994 को राज्यमंत्री ऊर्जा से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 921) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 546) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 15 दिसम्बर, 1994